Renewal 2022

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मेरठ

पत्रांक/प्रबन्ध/2326 /2022-23 दिनांक- 10/6/2022

प्रबन्धक,
ऋषभ एकेडमी
राफन चौक, मवाना, मेरठ।

कार्यालय पत्रांक-प्रबन्ध/मान्यता/3088-90/2016-17 दिनांक 22.05.2017 के द्वारा (ऋषभ एकेडमी, राफन चौक, मवाना, मेरठ) को नर्सरी से कक्षा-8 तक (अंग्रेजी माध्यम) की शैक्षिक सत्र-2017-18 से शैक्षिक सत्र 2019-20 तक तीन वर्ष के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान की गई थी।

आपने अपने पत्र दिनांक रहित के द्वारा उक्त मान्यता को स्थाई करने के अनुरोध किया है।

प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-418/79-6-2013-8 एस (7)/89 शिक्षा अनुभाग-6, लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर 13 में निम्नांकित प्रविधान दिया है।

"प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई हैं के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गई है" का प्राविधान है।

आपकी संस्था के विरूद्ध कार्यालय को पिछले तीन वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस लिए पत्रांक-प्रबन्ध/मान्यता/3088-90/2016-17 दिनांक 22.05.2017 द्वारा निर्गत मान्यता को शासनादेश में दिये गय प्राविधानों के अनुरूप स्थाई मान्यता समझा जाये।

For RISHABH ACADEMY

Auth. Signatory

(योगेन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

Principal
Rishabh Academy
Mawana (Meerut)